Regarding need to include Members of Parliament and State Legislatures in the protocol for flag hoisting/unfurling on the occasion of Republic Day and Independence Day-laid

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): गृह मंत्रालय का ध्यान जिला स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस) पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाता है जिसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाता है । इसकी एक प्रति राज्य सरकारों/संघ राज्य को भी भेजी जाती है । स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने के संबंध में निर्देश जारी करता है । निर्देशों का आधार लम्बे समय से चली आ रही परम्परा है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी; राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी; जिला स्तर पर मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लेकिन लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रोटोकोल में शामिल नहीं किया जाता है । माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को जिला स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण के प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निर्देश जारी किये जाएं ।